भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1337
27 जुलाई 2021 को उत्तरार्थ

विषय: छोटे किसानों के लिए कस्टम हायरिंग केंद्र

1337. श्री नरेंद्र कुमार:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कस्टम हायरिंग केंद्र छोटे किसानों को उनकी कृषि गतिविधियों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अधिकतम किसानों को कस्टम हायरिंग केन्द्रो का लाभ प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों का ब्यौरा क्या है; तथा

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) से (ग): कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कृषि यंत्रीकरण पर उपमिशन (एसएमएएम) योजना चलाई जा रही है जिसके प्रमुख उद्देश्यों मे कस्टम हायरिंग केन्द्रो, फार्म मशीनरी बैंकों और उच्च मूल्य वाली कृषि मशीनों के हाई-टेक हबों को बढ़ावा देना शामिल है ताकि किसानों को किराये के आधार पर कृषि यंत्र और उपकरण उपलब्ध हो सके। एसएमएएम की वर्ष 2014-15 में स्थापना के बाद से, विभिन्न राज्यों में 15400 से अधिक कस्टम हायरिंग केंद्र, 360 हाई-टेक हब और 14200 फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। विभाग द्वारा एक बहुभाषी 'फार्म्स' (फार्म मशीनरी सॉल्यूशंस) मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया है, जो एक निष्पक्ष और पारदर्शी किराये की प्रक्रिया के माध्यम से कृषि मशीनरी को किराए पर लेने और किराए पर देने की सुविधा प्रदान करता है। यह सभी पहल, छोटे और सीमांत किसानों की मशीनरी तक पहुँच को सुलभ बनाने में मदद कर रही हैं।

*****